

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-9/2019/सात/शा.7

भोपाल, दिनांक 30/9/2020

प्रति

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 के संबंध में ।

मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 सितम्बर, 2020 क्रमांक 347 पृष्ठ क्रमांक 693 लगायत 694 (8) में प्रकाशित होकर वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in तथा राजस्व विभाग की वेबसाइट www.revenue.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

कृपया अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों यथा- उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों आदि को उक्त संशोधन अधिनियम को वेबसाइट से डाउनलोड कर अध्ययन करने तथा तदनुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

अवर सचिव
30/9/2020
(एन.पी. अहिरवार)

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-9/2019/सात/शा.7

भोपाल, दिनांक 30/9/2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
 2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 3. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
30/9/2020

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग